हिमाचल प्रदेश सरकार

# निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन
# हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002

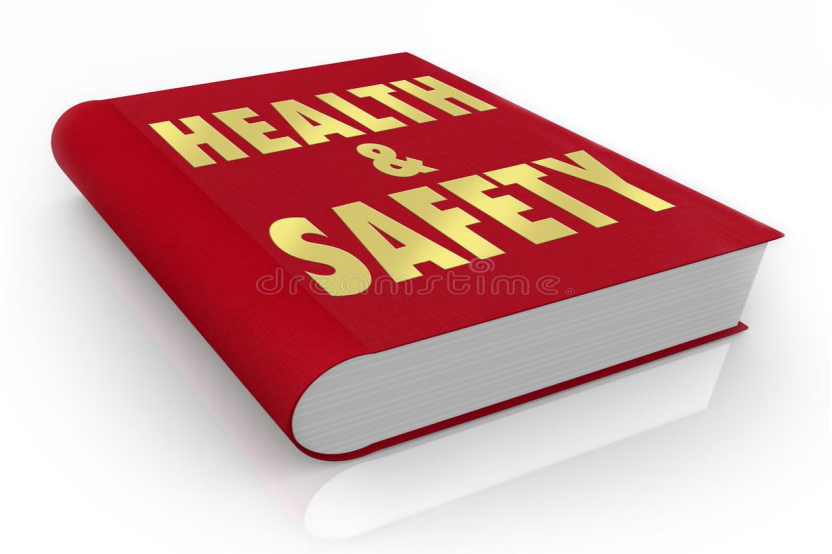


# वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

# 2017–18

# निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन
# हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002

## अनुक्रमणी


| क्रम संख्या | विवरण | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1. | परिचय | 1 |
| 2. | निदेशालय का संगठनात्मक ढांचा | 1–2 |
| 3. | कर्मचारी राज्य बीमा योजना | 2–9 |
| 4. | औषधि एवम् प्रसाधन (कॉस्मैटिक) सामग्री अधिनियम, 1940 एवम् नियम, 1945 | 9–10 |
| 5. | खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006 | 10–13 |
| 6. | संयुक्त जांच प्रयोग ाला (सी0टी0एल0), कण्डाघाट | 13–14 |
| 7. | गर्भाधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994. | 14–16 |
| 8. | सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 व उसके तहत दिनांक 30–5–2008 को बनाए गए नियम को लागू करना। | 16–20 |
| 9. | हिमाचल प्रदे ा क्लीनिकल स्थापना पंजीकरण अधिनियम | 20–21 |
| 10. | निजी स्वास्थ्य संस्थानों का एम्पैनलमैंट | 21 |
| 11. | पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जैव चिकित्सा अपि ाष्ट अधिनियम, 1988 | 21–22 |
| 12. | विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण और पूर्ण विवरण) अधिनियम, 1995. | 22–23 |
| 13. | मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 | 23–24 |
| 14. | परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और विकिरण संरक्षण नियम, 1971 | 24 |
| 15. | सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 | 24–25 |
| 16. | मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 | 25 |

# निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन
# हिमाचल प्रदेश, शिमला–171002

**1. परिचय :**

हिमाचल प्रदे ा सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या हैल्थ–ए–बी (12)1/2002 दिनांक 1 जून, 2009 के अनुसार एक अलग स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन निदे ाालय बनाया गया है जिसका मुख्य उद्दे य हिमाचल प्रदे ा में विभिन्न अधिनियमों/नियमों का कार्यान्वयन सुनि ित करना है। वर्तमान में यह निदे ाालय निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों का कार्य संचालन कर रहा है :–

1. कर्मचारी राज्य बीमा योजना
2. औषधि एवम् प्रसाधन (कॉस्मैटिक) सामग्री अधिनियम, 1940 एवम् नियम, 1945
3. खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006
4. संयुक्त जांच प्रयोग ाला (सी0टी0एल0), कण्डाघाट
5. गर्भाधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994
6. सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन पर प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 व उसके तहत दिनांक 30–5–2008 को बनाए गए नियम को लागू करना।
7. हिमाचल प्रदे ा क्लीनिकल स्थापना पंजीकरण अधिनियम
8. निजी स्वास्थ्य संस्थानों का एम्पैनलमैंट
9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जैव चिकित्सा अपि ाष्ट अधिनियम, 1988
10. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण और पूर्ण विवरण) अधिनियम, 1995
11. मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994
12. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और विकिरण संरक्षण नियम, 1971
13. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
14. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017

**2. निदेशालय का संगठनात्मक ढांचा :**

निदे ाालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवम् विनियमन में श्रेणीवार कर्मचारियों की स्थिति वर्ष 2017–2018 दिनांक 31–03–2018 तक निम्न प्रकार से है :–

| क्रम संख्या | पदनाम | स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | निदेशक | 1 | 1 | 0 | |
| 2. | ओ.एस.डी. | 2 | 2 | 0 | |
| 3. | सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा)। | 0 | 1 | 0 | पद का सृजन ESI में है |
| 4. | विकिरण सुरक्षा अधिकारी | 1 | 0 | 1 | – |
| 5. | सहायक औशधि नियंत्रक | 1 | 1 | 0 | – |
| 6. | विधि अधिकारी | 1 | 1 | – | – |
| 7. | अभिहित अधिकारी | 1 | 1 | – | – |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | अधीक्षक श्रेणी–II | 2 | 2 | 0 | – |
| 9. | वरिश्ठ सहायक | 2 | 1 | 1 | – |
| **क्रम संख्या** | **पदनाम** | **स्वीकृत पद** | **भरे पद** | **रिक्त पद** | **टिप्पणी** |
| 10. | स्टैनो टाईपिस्ट | 1 | 0 | 1 | – |
| 11. | लिपिक/कनिष्ठ सहायक | 5 | 5 | 0 | – |
| 12. | चालक | 1 | 1 | – | – |
| 13. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 5 | 5 | 0 | तीन पद पर स्थाई कर्मचारी तथा दो पद आउटसोर्स से भरे हुए हैं। |

- वर्ष 2017–2018 में निदेशालय स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन में 2 जुनियर ऑफिस असिस्टैंट की नियुक्ति निदे ाक स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदे ा के पत्र संख्या एच0एफ0डब्ल्यू0–एच0(1)बी0(4) दिनांक 04–10–2017 द्वारा की गई।

- वर्ष 2017–2018 में सरकार द्वारा इस निदे ालय में 02 पद लिपिक के–एक नियुक्ति से व एक स्थानांतरण से भरे गए।

### 3. हिमाचल प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा योजना :

#### कार्य का ब्यौरा

कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है और सामाजिक नीति के आधार पर जोखिम को कवर करने का एक तरीका है। इस योजना के तहत राज्य सरकार की जिम्मेदारी व कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 58 के तहत किए गए समझौते और प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक श्रमिकों और उनके परिवारों को व्यापक चिकित्सा देखभाल प्रदान करना है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना जून 1977 के दौरान शुरू की गई थी और बीमाकृत व्यक्तियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के माध्यम से चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा रही है।

#### कवरेज

कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम की धारा 2 (12) के तहत, अधिनियम, 1948, 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले कारखानों पर लागू होता है चाहे विनिर्माण की प्रक्रिया में बिजली का उपयोग किया जाए या नहीं। अधिनियम की धारा 1 (5) के तहत, योजना को 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली दुकानों, होटलों, रेस्तरां, सिनेमाघरों, थियेटरों, सड़क मोटर परिवहन उपक्रमों और समाचार पत्र प्रतिष्ठानों व सिनेमाघरों तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, अधिनियम के 1/5, इस योजना को कुछ राज्यों में 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाली निजी चिकित्सा और शैक्षिक संस्थानों तक बढ़ा दिया गया है। अधिनियम के तहत कवरेज के लिए मौजूदा मजदूरी सीमा 21,000/– है।

#### योगदान

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के बीमाकृत व्यक्ति तथा उसके नियोक्ता द्वारा योगदान पर आधारित है, राज्य कर्मचारी बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कारखानों, व्यापारिक प्रतिश्ठानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों पर यह लागू होता है, जिसके अन्तर्गत कर्मचारी द्वारा वेतन का 1.75 अं ादान किया जाता है तथा उसके नियोक्ता द्वारा वेतन का 4.75 अं ादान किया जाता है।

## हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए सोसायटी

हिमाचल प्रदे ा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या स्वास्थ्य–ए– (5) 1/04 दिनांक 05–08–2009 के द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना को ESI Society in H.P द्वारा संचलित किया जा रहा है। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत दिनांक 30–11–2009 को पंजीकृत की गई थी व सोसायटी ने दिनांक 01–04–2010 में काम करना भुरु कर दिया है।

स्वास्थ्य विभाग से बीमित व्यक्तियों और सेवाओं को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए समाज की आवश्यकता के अनुसार आउटसोर्स किया जाता है। नियमित आधार पर स्वीकृत पोस्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों को आगे द ार्शाया गया है–:

### राज्य में सभी कर्मचारी राज्य बीमा संस्थान की समेकित स्टाफ स्थिति 31–03–2018

| अनु. क्रमांक | श्रेणियों का नाम | स्वीकृत पोस्ट | स्थिति में | रिक्त | रिक्त विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | चिकित्सा अधिकारी | 40 | 31 | 9 | दाड़लाघाट 1. गगरेट 5. पंजगाई 2 एमसीएम 1 |
| 2. | दंत चिकित्सा अधिकारी | 7 | 6 | 1 | चम्बाघाट |
| 3. | दंत स्वास्थिक | 4 | 4 | – | |
| 4. | परिचारिका | 24 | 20 | 4 | भोघी, पंजगाई, टाहलीवाल, परवाणू (दाड़ला–1 सरप्लस) |
| 5. | वार्ड नर्स | 4 | 4 | – | |
| 6. | डीएनएस | 3 | 0 | 3 | परवाणू |
| 7. | एफएचडब्ल्यू/एएनएम | 15 | 12 | 3 | बद्दी, परवाणू, एमसीएम |
| 8. | एफ एच एस | 4 | 2 | 2 | दाड़लाघाट, पंजगाई |
| 9. | एम एच एस | 3 | 2 | 1 | दाड़लाघाट |
| 10. | प्रयोग ाला तकनीि ायन | 8 | 4 | 4 | बद्दी, एमसीएम (गगरेट 2) |
| 11. | प्रयोग ाला सहायक | 2 | 1 | 1 | गगरेट |
| 12. | फार्मासिस्ट | 28 | 16 | 12 | बद्दी 4 (एमसीएम 2) परवाणू (गगरेट 2) कसौली, काला अम्ब, ि ामला |
| 13. | मुख्य फार्मासिस्ट | 2 | 1 | 1 | गगरेट |
| 14. | रेडियोग्राफर | 5 | 3 | 2 | गगरेट |
| 15. | चालक | 5 | 3 | 2 | गगरेट, दाड़लाघाट |
| 16. | क्लर्क | 14 | 6 | 8 | ि ामला 2, टाहलीवाल (गगरेट, गोंदपुर 2), दाड़लाघाट, पंजगाई |
| 17. | सीनियर सहायक | 2 | 2 | – | |
| 18. | रसोईया | 2 | – | 2 | परवाणू, गगरेट |
| 19. | भाल्य चिकित्सा सहायंक | 2 | – | 2 | पंजगाई, गगरेट |
| 20. | चतुर्थ श्रेणी | 49 | 24 | 25 | संसारपुर टैरेस (परवाणू 4) (गगरेट 16) टाहलीवाल, जाबली, शोघी दाड़लाघाट |
| 21. | सफाई कर्मचारी | 21 | 11 | 10 | बद्दी, बरोटीवाला नालागढ़ (पंजगाई 2) टाहलीवाल, काला–अम्ब, संसारपुर टैरेस (गगरेट 2) |

| अनु. क्रमांक | श्रेणियों का नाम | स्वीकृत पोस्ट | स्थिति में | रिक्त | रिक्त विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. | दाई | 4 | 3 | 1 | दाड़लाघाट |
| 23. | स्ट्रेचर ब्वॉय | 2 | — | 2 | परवाणू |
| 24. | वार्ड ब्वॉय | 1 | — | 1 | ि ामला |
| 25. | चौकीदार | 1 | — | 1 | ि ामला |
| 26. | माली / चौकीदार | 1 | — | 1 | गगरेट |
| 27. | नेत्र ophthalmic | 3 | 2 | 1 | गगरेट |
| 28. | स्वास्थ्य ि ाक्षक | 1 | 1 | — | — |
| 29. | दंत चिकित्सा मैकेनिक | 3 | 1 | 2 | चम्बाघाट, टाहलीवाल |
| 30. | दंत चिकित्सा सहायक | 1 | 1 | — | — |
| 31. | ड्रैसर | 2 | — | 2 | गोंदपुर |
| | **Total . .** | 263 | 160 | 103 | 1, अधिशेष कर्मचारी नर्स दाड़लाघाट |

**हिमाचल प्रदेश में सभी कर्मचारी राज्य बीमा संस्थान की समेकित आउटसोर्स की जनशक्ति स्थिति 31–03–2018 तक**

| क्रमांक | प्रोग्रामर | जनशक्ति |
|---|---|---|
| 1. | परिचारिका | 21 |
| 2. | लैब तकनीशियन | 12 |
| 3. | फार्मासिस्ट | 16 |
| 4. | कम्प्यूटर ऑपरेटर | 15 |
| 5. | डीईओ | 34 |
| 6. | रसोईया | 2 |
| 7. | ऑपरेशन थिएटर सहायक | 1 |
| 8. | चपरासी | 9 |
| 9. | Stretcher Boy | 2 |
| | **Total . .** | **113** |

**हिमाचल में कर्मचारी राज्य बीमा संस्थान :**

वर्तमान में अस्पताल/औषधालयों को राज्य में कर्मचारी राज्य बीमा संस्थानों के रूप में अधिसूचित किया गया है :–

| अनु. क्रमांक | जिला | अस्पताल/औषधालय |
|---|---|---|
| 1. | सोलन | ईएसआई अस्पताल परवाणू |
| 2. | | सीएचसी दाड़लाघाट |
| 3. | | पीएचसी कसौली |
| 4. | | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी बद्दी |

| अनु क्रमांक | जिला | अस्पताल/औषधालय |
|---|---|---|
| 5. | | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी बरोटीवाला |
| 6. | | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी नालागढ़ |
| 7. | | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी जाबली |
| 8. | | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी चम्बाघाट |
| 9. | ऊना | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी मैहतपुर |
| 10. | | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी टाहलीवाल |
| 11. | | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी गगरेट |
| 12. | सिरमौर | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी एमसीएम पातलियों (पांवटा साहिब) |
| 13. | | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी गोंदपुर (पांवटा साहिब) |
| 14. | | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी काला अम्ब |
| 15. | ि ामला | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी ि ामला |
| 16. | | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी भोघी |
| 17. | कांगड़ा | पी0एच0सी0 संसारपुर टैरेस |
| 18. | बिलासपुर | पी0एच0सी0 पंजगाई |

**माध्यमिक देखभाल के लिए Empanelled अस्पताल**.––अस्पताल/सीएचसी/पीएचसी के अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए समाज ने राज्य में ईएसआई योजना के तहत बीमित व्यक्तियों को माध्यमिक देखभाल प्रदान करने के लिए निजी अस्पतालों के बाद सूचीबद्ध किया है :–

| अनु0 क्रमांक | अस्पताल का नाम | माध्यमिक देखभाल को निम्न अस्पताल द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1. | साईं संजीवनी अस्पताल (सोलन)। | जनरल सर्जरी | 24–08–2017 से 23–08–2018 |
| 2. | अमर अस्पताल सुपर स्पेशलिटी एंड हार्ट सैंटर (मोहाली)। | ऑर्थो , ईएनटी, पैथोलॉजी और फिजियोथैरेपी, जनरल सर्जरी, जनरल मैडिसिन, ओब्स. और Gynae, बाल चिकित्सा, ईवाईई, आईसीयू और महत्वपूर्ण देखभाल रेडियोलॉजी ऑर्थो। | 23–08–2017 से 22–08–2018 |
| 3. | पूरन अस्पताल पांवटा साहिब (सिरमौर)। | जनरल मैडिसिन, जनरल सर्जरी और ऑर्थो | 22–08–2017 से 21–08–2018 |
| 4. | भोजिया डैंटल कॉलेज और अस्पताल बद्दी (सोलन)। | प्रोथोडोंटिक्स, पीरिओडोंटिक्स, रूढ़ीवादी दंत चिकित्सा, ओरल पैथोलॉजी, ऑर्थोपैडिक्स, पेडोडोंटिक। | 21–09–2017 से 20–09–2018 |

| अनु0 क्रमांक | अस्पताल का नाम | माध्यमिक देखभाल को निम्न अस्पताल द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए | अवधि |
|---|---|---|---|
| 5. | फोर्टिस अस्पताल, कंगड़ा (हिमाचल हैल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड की एक इकाई)। | एनेस्थेसियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, क्रिटिकल केयर, डैंटल, डाइटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन, ईएनटी, कार्डियोलॉजी, गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑर्थोपैडिक्स, पायसोथैरेपी, मैडिसिन, एनेस्थेसिया, आईसीयू, बाल चिकित्सा, एनआईसीयू, बेसिक दंत प्रक्रिया, बायोकैमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, साइटोलॉजी, हेमेटोलॉजी और ब्लीड स्टर्ज, सामान्य सर्जरी, रेडियोलॉजी (सीटी, यूएसजी, एक्स रे, मैमोग्राफी, बेरियम, एचएसजी जैसी विशेष जांच)। | 21–09–2017 से 20–09–2018 |
| 6. | बंसल ऑर्थोपैडिक सैंटर, मॉल (सोलन), एचपी। | हड्डी का डॉक्टर | 01–09–2017 से 20–09–2018 |
| 7. | दृष्टि आई अस्पताल, एससीओ –26, सैक्टर –11, पंचकूला, हरियाणा–134109 | नेत्र विज्ञान | 31–08–2017 से 30-08-2018 |
| 8. | आकाश अस्पताल नालागढ़ (सोलन)। | जनरल सर्जरी ऑर्थो, जनरल सर्जरी, जनरल मैडिसिन, ओब्स. और Gynae, रेडियोलॉजी, ओथ्याल्मोलॉजी और ईएनटी। | 22–08–2017 से 21–08–2018 |
| 9. | लॉर्ड महावीर अस्पताल नालागढ़ (सोलन)। | जनरल सर्जरी, ओथ्याल्मोलॉजी, ईएनटी, बाल चिकित्सा, जेन मैडिसिन, रेडियो निदान, ऑर्थो, ऑब्स. और गायनी और बेसिक डैंटल प्रक्रियाएं। | 23–08–2017 से 22–08–2018 |
| 10. | इंडस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल (मोहाली)। | जनरल मैडिसिन, जनरल सर्जरी एंड ऑर्थो, ईएनटी, Gynae और ओब्स., फिजियोथैरेपी, दंत चिकित्सा और रेडियोलॉजी, आईसीयू और गंभीर देखभाल, मनोचिकित्सा। | 03–09–2017 से 02–09–2018 |
| 11. | जेपी अस्पताल, एनएच –21, अम्बाला–चंडीगढ़ राजमार्ग, जिरकपुर, मोहाली (पीबी)। | सामान्य चिकित्सा (आईसीयू के साथ), सामान्य सर्जरी, आर्थोपैडिक्स, ओबस्ट. और स्त्रीरोग, नियोनैटोलॉजी और बाल चिकित्सा (एनआईसीयू और पीआईसीयू के साथ) लैब सेवाओं, चिकित्सा, त्वचाविज्ञान, ट्रांसफ्यूजन दवा, दंत चिकित्सा, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोथैरेपी, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ईएनटी, रेडियोलॉजी। | 29–12–2017 से 28–12–2018 |
| 12. | श्री कांत मैमोरियल अस्पताल नालागढ़ (सोलन)। | जनरल सर्जरी, आर्थोपैडिक्स गायनी, ऑपथैलमोलोजी। | 9–09–2017 से 18–09–2018 |

| अनु0 क्रमांक | अस्पताल का नाम | माध्यमिक देखभाल को निम्न अस्पताल द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए | अवधि |
|---|---|---|---|
| 13. | शर्मा आई अस्पताल और लेजर सैंटर। | ओथ्थाल्मोलॉजी, डैंटल | 02–01–2018 से 01–01–2019 |
| 14. | संघ अस्पताल, गायनी जैल सिंह नगर, राधा स्वामी सत्संग भवन के पास, रोपड़ (पीबी)। | जनरल मैडिसिन, जनरल सर्जरी, दंत चिकित्सा और मौखिक सर्जरी, प्रयोगशाला सेवाएं, आर्थोपैडिक्स। | 02–01–2018 से 01–01–2019 |
| 15. | पन्नू आई अस्पताल, # 3141, कॉलेज रोड रोपर (पीबी)। | नेत्र विज्ञान | 17–01–2018 से 16–01–2019 |
| 16. | एपीएक्स डायग्नोस्टिक्स, मधुबन कॉलोनी, नेताजी पार्क, अस्पताल रोड, सोलन, एचपी के पास। | कार्डियोलॉजी (टीएमटी, ईसीजी, ईसीएचओ और पीएफटी), पैथोलॉजी (उपवास रक्त शर्करा, मूत्र परीक्षण, एफएनएसी, गर्भाशय ग्रीवा वेजीनल स्मीयर सहित पूर्ण हैमोग्राम), बायोकैमिस्ट्री (सभी बायोकैमिकल परीक्षण और इम्यूनोलॉजिकल विश्लेषण), रेडियोलॉजी (एक्स–रे, अल्ट्रासाउंड, ओपीजी , सीटी और एमआरआई)। | 02–05–2018 से 01–05–2019 |
| 17. | शिवम ऑर्थोकेयर, सुविधा पैलेस, हमीरपुर रोड, ऊना–174303 के विपरीत। | आर्थोपैडिक्स सेवाएं | 02–05–2018 से 01–05–2019 |

इसके अलावा, सोसाइटी ने यूनिट, कांगड़ा, मंडी, सिरमौर, शिमला और सोलन के निम्नलिखित क्षेत्र को संलग्न किया है जहां ईएसआई योजना ईएसआईसी के अनुरोध के अनुसार आंशिक रूप से लागू की जा रही है :–

| अनु0 क्रमांक | क्षेत्र | संलग्न अस्पताल/सीएचसी/ पीएचसी का नाम |
|---|---|---|
| | **जिला ऊना** | |
| 1. | ऊना, बसाल और परिवे ा | क्षेत्रीय अस्पताल ऊना |
| 2. | अम्ब, कलरुही, ठठल, धमांदरी और आसपास के इलाके में। | सीएचसी गगरेट |
| | **जिला कांगड़ा** | |
| 1. | कांगडा भाहर | सिविल अस्पताल कांगडा |
| 2. | पालमपुर | सिविल अस्पताल पालमपुर |
| 3. | धर्मशाला | क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला |
| 4. | मैकलोडगंज | पीएचसी मैकलोडगंज |
| 5. | डमटाल, कनोरी दुमटाल | सीएचसी इंदौरा |
| | **जिला मंडी** | |
| 1. | सुंदरनगर, डडौर, धुंड़ी बागला | पीएचसी रत्ती |
| 2. | भांबला | पीएचसी भांबला |
| | **जिला सिरमौर** | |
| 1. | मेहरुबला भगानी | ईएसआई डिस्पैंसरी पातलियों (पौंटा) |

| | | |
|---|---|---|
| | **जिला शिमला** | |
| 1. | कुफरी | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी शिमला |
| 2. | वाकनाघाट | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी भोघी |
| | **जिला सोलन** | |
| 1. | बड़ोग, कंडाघाट, ओच्छघाट | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी चम्बाघाट |
| 2. | कुमारहट्टी | सीएचसी धर्मपुर |
| 3. | सुबाथु | पीएचसी सुबाथु |

वर्तमान में 31-03-2018 तक कुल 301311 में बीमाकृत व्यक्ति पंजीकृत हैं, राज्य में जिन्हें 17 पीएचसी/डिस्पेंसरी और 1 ईएसआई, परवाणू में अस्पताल के माध्यम से चिकित्सा देखभाल प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, ईएसआई सोसायटी हि0 प्र0 ने बीमित व्यक्तियों माध्यमिक देखभाल के लिए 16 अस्पताल सूचीबद्ध किए हैं और अति वि ाष्ट देखभाल 10 अस्पतालों को ईएसआईसी द्वारा सूचीबद्ध किया गया है। इन सूचीबद्ध अस्पतालों द्वारा बीमित व्यक्तियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। वित्त वर्श 2017 के दौरान हि0प्र0 सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत 2 करोड़ 65 लाख रुपये की रा ि ा 1/8 भाग के रुप में वहन की गई तथा ई0एस0आई0सी0 द्वारा 7/8वां भाग का मु0 22,57,02,201/– रुपये की रा ि ा वहन की गई, प्राप्त हुई जिसके विपरित बीमित कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं देने पर कुल मदवार 27,62,48,086/–व्यय किया गया हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

| अनु0 क्रमांक | विवरण | वित्तीय वर्ष 2017–18 |
|---|---|---|
| 1. | वेतन– नियमित कर्मचारी=12,08,47,961/–<br>वेतन–आउटसोर्स स्टाफ=1,56,88,057/– | 13,65,36,018 |
| 2. | उपकरणों की खरीद | 7,48,126 |
| 3. | अन्य प्रशासनिक व्यय | 1,11,06,904 |
| 4. | दवाओं की खरीद | 6,76,20,395 |
| 5. | आईपी के इलाज के लिए आईपी के एमआर दावा और सूचीबद्ध अस्पताल का भुगतान | |
| | **Grand Total . .** | **27,62,48,086** |

CGHS दरों के मुताबिक दावों की उचित जांच के बाद वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान 12000 आईपी के मैडिकल दावों पर मु0 6,02,36,643/– रुपये की राशि वहन की गई थी।

**वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान ओपीडी विवरण बुद्धिमानी और अस्पताल के अनुसार ओपीडी विवरण नीचे दिखाए गए हैं:–**

| अनु. क्रमांक | ई0एस0आई0 संस्थान का नाम | ई0एस0आई0 | गैर– ई0एस0आई0 | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी काला अम्ब | 19482 | – | 19482 |
| 2. | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी एमसीएम पातलियों। | 17819 | – | 17819 |
| 3. | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी गोंदपुर | 21782 | – | 21782 |
| 4. | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी गगरेट | 3117 | 42569 | 45686 |
| 5. | ई0एस0आई0 अस्पताल परवाणू | 68496 | 72098 | 140594 |

| अनु. क्रमांक | ई0एस0आई0 संस्थान का नाम | ई0एस0आई0 | गैर– ई0एस0आई0 | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 6. | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी ि ामला | 7288 | – | 7288 |
| 7. | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी भाोघी | 6 | 31977 | 31983 |
| 8. | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी टाहलीवाल | 15384 | – | 15384 |
| 9. | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी बरोटीवाला | 33716 | 17309 | 51025 |
| 10. | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी दाड़लाघाट | 439 | 19526 | 19965 |
| 11. | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी बद्दी, भुड | 42528 | 2902 | 45430 |
| 12. | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी नालागढ़ | 24598 | 1420 | 26018 |
| 13. | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी कसौली | 1015 | 11000 | 12015 |
| 14. | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी चम्बाघाट | 14320 | 7826 | 22146 |
| 15. | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी जाबली | 9236 | 7681 | 16917 |
| 16. | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी मैहतपुर | 14552 | 391 | 14943 |
| 17. | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी पंजगाई | 148 | 17895 | 18043 |
| 18. | ई0एस0आई0 डिस्पैंसरी संसारपुर टैरेस | 590 | 4912 | 5502 |
| | **Total . .** | **294516** | **237506** | **532022** |

### 4. औषधि एवम् प्रसाधन (कॉस्मैटिक) सामग्री अधिनियम 1940 एवम् नियम 1945:

औशधि एवम् प्रसाधन (कॉस्मैटिक) सामग्री अधिनियम, 1940 एवम् नियम, 1945 भारत सरकार का अधिनियम है। इस अधिनियम से संबधित प्रावधान को अमल में लाना प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है इसके अतिरिक्त निम्न अधिनियमों की परिपालन भी इसी विभाग द्वारा किया जाता है।

1. **Drugs Price (Control Order), 2013 (National Pharmaceutical Pricing Authority)**
2. **Drugs & Magic Remedies (Objectionable Advertisement) Act, 1948.**

(क) हिमाचल प्रदेश में औषधि नियन्त्रक का एक पद स्वीकृत है जो भरा हुआ है।

(ख) हिमाचल प्रदेश में सहायक औषधि नियन्त्रक के 6 पदों के विरूद्ध–1 डी0एच0एस0आर0, 1 मण्डी, 1 कांगडा, 1 नाहन व 2 औषधि नियंत्रक कार्यालय बददी में कार्यरत हैं।

(ग) हिमाचल प्रदेश में औषधि निरीक्षक के 44 स्वीकृत पदों के विरूद्ध 16 औषधि निरीक्षक–सी0एम0ओ0 आफिस शिमला–1, सो़लन–1, मण्डी–1, हमीरपुर–1, ऊना–1, कुल्लू–1, चम्बा–1, सिरमौर–1, औषधि नियंत्रक कार्यालय, बद्दी–4, सी0एच0 सुन्दरनगर–1, सी0एच0 नूरपुर–1, सी0एच0 पालमपुर–1, सी0एच0 पांवटा साहिब–1

**प्रगति रिपोर्ट.–** वित्तीय वर्श 2017–18 में की गई गतिविधियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

**राज्य में औषधि के लिए गए नमूनों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–**

| क्र0सं0 | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | लिए गए नमूनों की संख्या | 1902 |
| 2. | परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या | 1228 |

| क्र0सं0 | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 3. | उप मानक नमूनों की संख्या | 42 |
| 4. | नकली पाए गए नमूनों की संख्या | 0 |
| 5. | अभियोजन पक्ष की संख्या | 155 |
| 6. | निरीक्षण :<br>अ. बिक्री परिसर<br>ब. विनिर्माण परिसर | <br>2783<br>993 |
| 7. | अदालत में लम्बित मामलों की कुल संख्या | 403 |

औशधि का न ो के लिए दुरुपयोग रोकने हेतु विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही की गई है जिसके द्वारा कुछ दवाईयां जैसे कि Ephedrine, Pseudoephadrine, Diphenoxylate & Buperinorphine का निर्माण प्रदे ा में रोक दिया गया है।

वर्ष 2017–18 में हिमाचल प्रदे ा लोक सेवा आयोग द्वारा 13 पद औषधि निरीक्षकों के इस विभाग में भरने हेतु प्रक्रिया भुरू कर दी गई है।

**वर्ष 2017–18 के दौरान दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों के कार्यान्वयन का ब्यौरा निम्न प्रकार हैः–**

1. थोक लाइसैंस की संख्या (फॉर्म 20 ब और 21 ब) : 289
2. विनिर्माण लाइसैंस की संख्या (फॉर्म 25 और 28) : 37
3. ऋण दवा निर्मित लाइसैंस की संख्या (फॉर्म 25 अ और 28 अ): 92
4. दिए गए लाइसैंस को पुनर्स्थापित करने की संख्या (फॉर्म 25 ब): 00
5. जारी किए गए खुदरा लाइसैंस की संख्या (फॉर्म 20 और 21): 321
6. जारी किए गए प्रतिबन्धित लाइसैंस की संख्या (फॉर्म 20 अ और 21अ): 17
7. लाइसैंस का नवीनीकरण (दवा निर्माण): 97
8. नवीनीकृत लाइसैंस की संख्या (दवा निर्माण ऋण लाइसैंस): 50
9. निलंबित/रदद किए गए लाइसैंसों की संख्या

   (क) विनिर्माण परिसर : 16 (स्वयं का अनुरोध) और 07 (अधिनियम के उल्लंघन के कारण)

   (ख) बिक्री परिसर : 79 एक्स.एल.'सॉफ्टवेयर के अनुसार लिए गए नमूनों की संख्या

**5. खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006 :**

भारत वर्श में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 एवम् नियम, 1955 के रिपील होने के उपरान्त दिनांक 5–8–2011 से खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम, 2006 लागू किया गया है जिसमें 101 धाराएं (Sections) हैं तथा 2 अनुसूचियां (Schedules) हैं।

**खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 :**

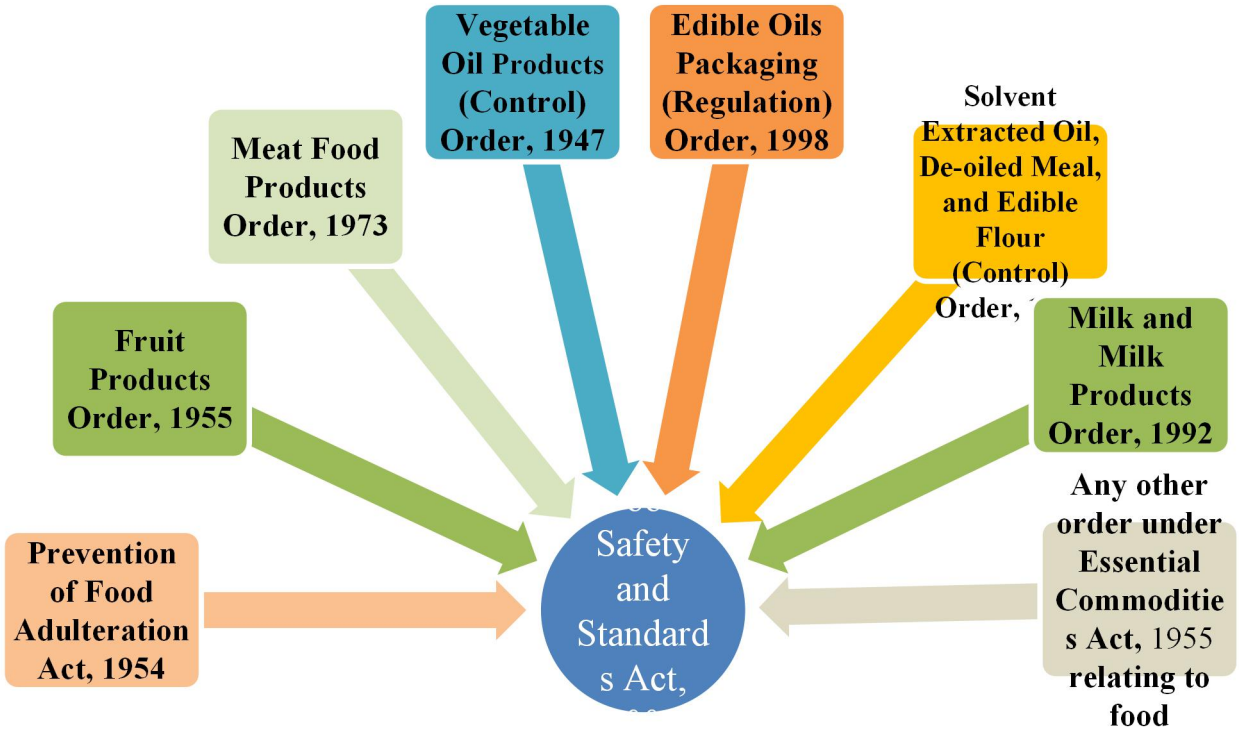


---

हिमाचल सरकार द्वारा प्रदे ा में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व इसके विभिन्न प्रावधानों को लागू करने हेतु पुराने ढांचे को नए ढांचे में परिवर्तित करने हेतु निम्नलिखित वांछित अधिसूचनाएं जारी की गई हैं :–

1. अधिसूचना संख्या HFW-B(A)2-1/82-III dated 18–8–2011 द्वारा Principal Secretary (Health) to the Govt. of Himachal Pradesh को Commissioner of Food Safety अधिसूचित किया गया है।
2. अधिसूचना संख्या HFW-B(A)2-1/82-III dated 18–8–2011 द्वारा Director, Health Safety & Regulation को Joint Commissioner, Food Safety, Himachal Pradesh अधिसूचित किया गया है।
3. अधिसूचना संख्या HFW-B(A)2-1/82-III dated 18–8–2011 द्वारा ADMs को Adjudicating Officer under Food Safety for Himachal Pradesh अधिसूचित किया गया है।
4. अधिसूचना संख्या HFW-B(A)2-1/82-III dated 18–8–2011 द्वारा सभी जिलों में कार्यरत खाद्य निरीक्षकों को Food Safety Officer अधिसूचित कर दिया गया है।

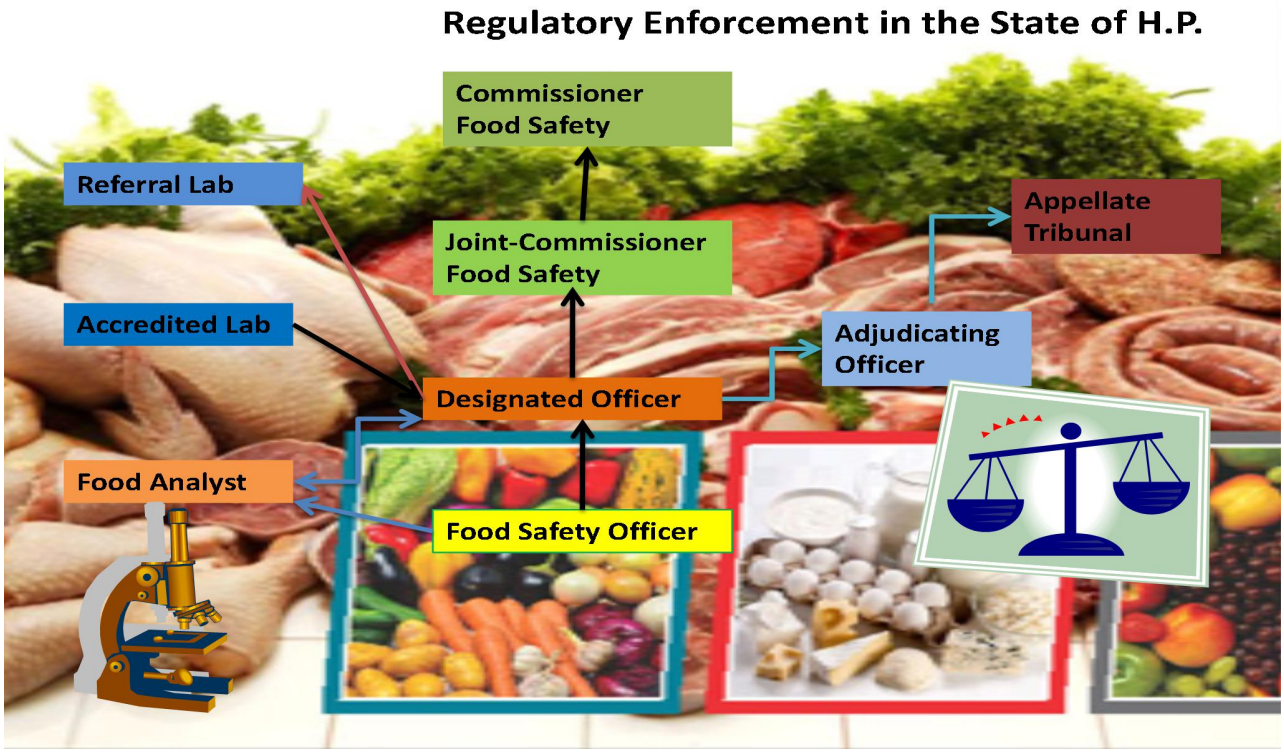


5. अधिसूचना संख्या Health-A-B(1)-9/2006-Loose dated 03–11–2017 द्वारा Sh. Ripu Daman Kumar, Senior Scientist, CTL Kandaghat को Food Analyst अधिसूचित किया गया है।

6. गत वर्श प्रदेश सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 को प्रदेश में सुचारू रूप से लागू करने के लिए विभाग में पदाभिहित अधिकारी के 12 पद सृजित किये गए हैं। जिनमें से 6 खाद्य निरीक्षक/सुरक्षा अधिकारी पदोन्नति के उपरान्त और 6 सीधी भरती के द्वारा तैनात किए जा चुके हैं।

7. गत वर्श प्रदेश सकार ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के 10 पद और स्वीकृत किए हैं जिससे खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के कुल पदों की संख्या 22 हो गई है। गत वर्श सरकार ने 19 पदों को भरने की स्वीकृती प्रदान कर दी है और मामला हि0 प्र0 कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के पास आगामी कार्यवाही हेतु लम्बित है।

**संचालन.**–प्रदे ा में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवम् इनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों को प्रदे ा में सुचारू रूप से लागू करने के लिए राज्य स्तर पर पदाभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की बैठकों का आयोजन किया जाता है जिनमें उक्त अधिनियम को लागू करने एवं इसमें किए गए कार्यों की समीक्षा की जाती है तथा समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को समय–समय पर निर्दे ा दिए जाते हैं कि उक्त अधिनियम को प्रदे ा में सूचारू रूप से चलाने के लिए खाद्य व्यापार संचालकों को भी जागरूक किया जाए ताकि फूड सेफ्टी स्टैण्डर्ड ऐक्ट, 2006 को सूचारु रूप से लागू किया जा सके तथा ज्यादा से ज्यादा उन्हीं खाद्य वस्तुओं के नमूने भरे जाएं जिनमें अपमिश्रित होने का अन्दे ा हो, नमूने के अपमिश्रित पाए जाने पर दोशियों के विरुद्ध मामला न्यायालय में दायर किया जाए तथा उन्हें न्यायालय से कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने की सिफारि ा की जाए।

प्रदे ा में खाद्य व्यापार संचालकों की सुविधा के लिए ऑनलाईन लाईसैंस तथा पंजीकरण सुविधा प्रारम्भ की गई है, जिससे की खाद्य व्यापारी सीधे ही खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की वैबसाइट www.fssai.gov.in पर जाकर लाईसैंस व रजिस्ट्रे ान करवाने हेतु आवेदन कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं इसके प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदे ा सरकार ने 19 दिसम्बर, 2017 से गुटका, खैनी, पान मसाला के क्रय, विक्रय और भंडारण पर एक वर्श के लिए पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाया गया है तथा इसे सुनि ित भी किया जा रहा है।

गत वर्श अक्तूबर माह में प्रदे ा को खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा दो मोबाईल टेस्टिंग वैनस दी गई हैं जिससे दुग्ध एवं अन्य खाद्य पदार्थों का परीक्षण तुरंत स्थान पर किया जा सकता है। इन वैनस के द्वारा ि ावरात्रि मेला मण्डी, होला मोहल्ला मेला सिरमौर और नवरात्रि मेला तारा देवी ि ामला में जन–जागरण अभियान चलाया गया जिसमें आम जनता को इस वैन के फायदों के बारे में बताया गया।

**प्रगति रिपोर्ट वर्ष 2017–18 निम्नलिखित हैः–**

| क्रम संख्या | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | एकत्रित किए गए कुल नमूनों की संख्या | 169 |
| 2. | जांच किए गए कुल नमूनों की संख्या | 164 |
| 3. | फेल/मिसब्रांडिड पाए गए कुल नमूनों की संख्या | 50 |
| 4. | दोशियों के विरूद्ध न्यायालय में दायर किए गए मामले | 17 |
| 5. | सजायुक्त (कनविक ान) मामले | 5 |
| 6. | खाद्य व्यापार संचालकों की पंजीकरण संख्या | 119488 |
| 7. | खाद्य व्यापार संचालकों की लाईसैंस संख्या | 11999 |

## 6. संयुक्त जांच प्रयोगशाला कण्डाघाट :

संयुक्त जांच प्रयोग ाला की स्थापना अलग–अलग अधिनियमों के तहत एकत्रित किए गए नमूनों का आंकलन करने के लिए की गयी है। इस प्रयोग ाला में विभिन्न सरकारी एवं गैर–सरकारी विभागों के खाद्य निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, औशधि निरीक्षक, आबकारी एवं कराधान विभाग, पुलिस विभाग, स्टेट सिविल सप्लाईज इत्यादि द्वारा एकत्रित किए गए नमूनों का आंकलन किया जाता है।

वर्ष 2017–2018 में एकत्रित किए गए नमूनों व उनके आंकलन का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

| क्रम संख्या | प्राप्त नमूनों की संख्या | आंकलित नमूनों की संख्या | शेष नमूने |
|---|---|---|---|
| 1. | 1832 | 1235 | 597 |

संयुक्त परीक्षण प्रयोगशाला, कण्डाघाट के कर्मचारियों की स्थिति निम्नलिखित हैः–

| क्रम संख्या | पदनाम | स्वीकृत पद | भरे पद | रिक्त पद |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पब्लिक ऐनालिस्ट–कम–कैमिकल एग्ज़ामिनर | 1 | 0 | 1 |
| 2. | डिप्टी पब्लिक ऐनालिस्ट | 1 | 0 | 1 |
| 3. | डिप्टी गवर्नमैंट ऐनालिस्ट | 1 | 0 | 1 |
| 4. | सीनियर साईंटिस्ट | 5 | 3 | 2 |
| 5. | जूनियर साईंटिस्ट | 4 | 0 | 4 |
| 6. | सीनियर ऐनालिस्ट | 7 | 3 | 4 |
| 7. | जूनियर ऐनालिस्ट | 6 | 0 | 6 |
| 8. | वरिश्ठ प्रयोग ाला टैक्नी ियन | 6 | 3 | 3 |
| 9. | अधीक्षक ग्रेड–2 | 1 | 1 | 0 |
| 10. | वरिश्ठ सहायक | 5 | 4 | 1 |
| 11. | क्लर्क | 4 | 4 | 0 |
| 12. | वाहन चालक | 1 | 1 | 0 |
| 13. | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 5 | 5 | 0 |
| 14. | चौकीदार | 2 | 1 | 1 |
| 15. | सफाई कर्मचारी | 3 | 2 | 1 |
| 16. | पैकर | 1 | 0 | 1 |
| | **कुल . .** | **53** | **27** | **26** |

1. संयुक्त परीक्षण प्रयोग ाला, कण्डाघाट में पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। वरिष्ठ वैज्ञानिक के दो पदों को हिमाचल प्रदे ा कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा विज्ञापित किया जा चुका है।

**7. गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम एवम् नियम के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में किए गए कार्य का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :**

1. राज्य में 31–03–2018 तक 285 अल्ट्रासाउंड क्लीनिक पंजीकृत हैं, जिनमें से 90 सरकारी व 195 निजी क्लीनिक हैं।

2. सरकार ने जिला स्वास्थ्य अधिकारियों एवं खण्ड चिकित्सा अधिकारियों को अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों की नियमित जांच करने के लिये प्राधिकृत किया है। हर पंजीकृत अल्ट्रासाउंड क्लीनिक की कम से कम तीन महीनों में एक जांच सुनि चित करना CMO-*cum*-District Appropriate Authority के लिये अनिवार्य है।

3. राज्य स्तर पर, राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड, समुचित प्राधिकारी व राज्य सलाहकार समितियां तथा जिला स्तर पर समुचित प्राधिकारी, जिला सलाहकार समितियां जिनकी बैठकें अधिनियम के अनुसार समय–समय पर की जा रही हैं।

4. वर्श 2017–18 में सरकार द्वारा गठित राज्य पर्यवेक्षी बोर्ड की माननीय स्वास्थ्य मन्त्री, हिमाचल प्रदे ा की अध्यक्षता में एक बैठक जून मास में व राज्य सलाहकार समिति की निदे ाक, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियमन की अध्यक्षता में एक बैठक मई मास में की गई।

5. जिला एपरोप्रिएट अथोरिटी द्वारा वर्श 2017–18 में 952 अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों के निरीक्षण किये गये हैं। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं को दूर करने हेतु अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों के मालिकों को उचित निर्दे ा भी दिए गए हैं।

6. वर्श 2017–18 में राज्य में 05 अल्ट्रासाउंड क्लीनिक का पंजीकरण रद्द एवम् 01 अल्ट्रासाउंड क्लीनिक का पंजीकरण निलम्बित किया गया।

7. वर्श 2017–18 में राज्य में पी.सी एवम् पी.एन.डी.टी. अधिनियम, 1994 के उल्लंघन के पांच मामले जिला बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लु, ि ामला व ऊना के न्यायालय में चल रहे हैं।

8. केन्द्र सरकार ने लिंगानुपात असमानता की गंभीरता को देखते हुए "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम जो कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में तीन जिलों में जिला ऊना, जिला कांगडा तथा जिला हमीरपुर को भाामिल किया है।

9. गत वर्श में दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्र ि ाक्षुओं की प्र ि ाक्षण कार्य ाला का आयोजन 17 और 18 नवम्बर, 2017 को लाल बहादुर भाास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, नेरचौक मण्डी में किया गया। इस कार्य ाला में सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, खण्ड चिकित्सा अधिकारी जिला मण्डी तथा सभी जिलों के सम्बन्धित सहायकों (पी.सी एवम् पी.एन.डी.टी.) ने भाग लिया। निदे ाक स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदे ा, निदे ाक, स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन, हिमाचल प्रदे ा और राज्य नोडल अधिकारी (पी.सी एवम् पी.एन.डी.टी.) द्वारा इस कार्य ाला में प्र ि ाक्षण दिया गया। इसके उपरान्त पूरे प्रदे ा में जिला स्तर की कार्य ाालाएं आयोजित की गईं।

10. राज्य में इन्दिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना के अन्तर्गत बेटी को बढ़ावा देने हेतु दम्पत्ति को एक व दो लड़कियों के होने के उपरान्त नसबंदी/नलबंदी करवाने पर क्रम ाः रूपये 35000/– व रुपये 25000/– की प्रोत्साहन रा ि ा दी जा रही है।

11. कन्या भ्रूणहत्या की जांच करने वाले क्लीनिकों की सूचना देने वाले व्यक्ति को दिये जाने वाले नकद पुरस्कार की रा ि ा रूपये 10,000/- से बढ़ाकर रूपये 1,00,000/– कर दी गई है। ऐसे मुखबिरों की पहचान को गुप्त रखा जाता है।

12. विभाग की वैबसाइट पर जिलावार अल्ट्रासाउंड म ाीनों की सूची समय–समय पर अद्यतन की जाती है।

13. राज्य एवं जिला स्तर पर सरकारी व निजी क्लीनिकों के मालिकों को पी.सी. एवम् पी.एन.डी.टी. अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत विभिन्न प्रावधानों से अवगत करवाने हेतु जागरूकता अभियान/कार्य ाालाएं आयोजित की जा रही हैं। जिससे लिंग अनुपात सुधारने में बढ़ावा मिल रहा है।

14. राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 05–08–2017 द्वारा पी.सी एवम् पी.एन.डी.टी. के अंतर्गत संयुक्त/अतिरिक्त/वि ोश सचिव (स्वास्थ्य) को राज्य अपीलीय सत्ता नियुक्त किया गया है।

15. भारत सरकार, मंत्रालय स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण नई दिल्ली ने पी.सी एवम् पी.एन.डी.टी. नियम 5 में सं ाोधन करते हुए दिनांक 19–06–2017 की अधिसूचना द्वारा सरकारी संस्थानों को पंजीकरण एवं नवीनीकरण पर फीस माफ कर दी है जिसे सभी ज़िला समुचित प्राधिकारियों को आव यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

**8. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 और इसके तहत बनाए गए नियम :**

- तम्बाकू पूरे विश्व में प्रयोग होने वाला न ाीला पदार्थ है ।
- तम्बाकू अफीम, चरस, गांजा जैसा ही नशीला व मादक पदार्थ है ।
- तम्बाकू के शुरू करने वालों की उम्र सामान्यतः स्कूली बच्चों की उम्र होती है ।
- तम्बाकू के प्रयोग की शुरूआत यारी दोस्ती से, घर में नशा करने वालों, फिल्म स्टार व किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व के प्रभाव से होती है।
- तम्बाकू का प्रयोग करने से वह बच्चा या व्यक्ति दूसरे नशों का प्रयोग आसानी से कर लेता है।
- तम्बाकू के प्रयोग से जहां व्यक्ति उसका आदी हो जाता है वहीं दूसरी ओर भयानक बीमारियों का शिकार भी हो जाता है ।
- धुम्रपान के धुएं से सबसे अधिक नुकसान आस–पास के व्यक्तियों एवं गर्भवती महिलाओं को होता है।
- धूम्रपान व तम्बाकू से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए राज्य ने तम्बाकू नियंत्रण के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिसके अतिरिक्त एंटी तम्बाकू जागरूकता व तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 (COTPA) हिमाचल प्रदे ा में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
- COTPA कानून के तहत तम्बाकू नियंत्रण के लिए राज्य में राज्य व जिला स्तरीय समितिया अधिसूचित की हैं जो समय–समय पर इन कार्यक्रमों व कानूनों का वि लेशण करती हैं।
- धारा 4 (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबन्ध) के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रदे ा के सभी विभागों में सुनि ि चत करने के लिए पूरे भारतवर्श में सबसे सरल व प्रभारी प्रक्रियाओं को अपनाया गया है और

कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य, जिला व खण्ड स्तरीय उड़नदस्तों का गठन किया गया है।

- हर वर्श 31 मई को राज्य, में "World No Tobacco Day" मनाया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाकर तम्बाकू के दुष्प्रभावों को कम करना है।

- इलैक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के माध्यम से IEC गतिविधियों का निश्पादन किया जाता है। प्रदेश भर के लोगों को तम्बाकू के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में पंचायत स्तर तक पोस्टरों, रेडियो पर विज्ञापन तथा नुक्कड़ नाटक द्वारा आम जनता को जागरूक किया जा रहा है तथा समस्त सार्वजनिक संस्थानों के प्रभारियों को कानून के प्रावधानों के अनुसार धूम्रपान निषेध बोर्ड प्रदर्शित करने के आदेश जारी किए गए हैं और उल्लंघन करने पर कार्रवाई हेतु भी अधिकृत किया गया है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

**इस स्थान पर धूम्रपान करना अपराध है।**

**उल्लंघन करने पर 200 रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा।**

- COTPA की धारा 6 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को तम्बाकू उत्पाद बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध और समस्त शिक्षण संस्थानों के प्रभारियों एवं प्रशासन को शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

- 2 अक्तूबर, 2010 को शिमला शहर को धूम्रपान मुक्त शहर घोषित किया गया जो चंडीगढ़ के बाद देश का दूसरा धूम्रपान मुक्त शहर है। शिमला शहर को वैज्ञानिक आधार पर सर्वेक्षण के बाद मानकों पर खरा उतरने पर धूम्रपान मुक्त शहर घोषित किया गया है जो देश भर में प्रथम प्रयास है।

## तम्बाकू नियंत्रण के लिये उठाए गए महत्वपूर्ण कदम :

- सरकार द्वारा खुली बीड़ी और सिगरेट के विक्रय पर अधिसूचना पत्र संख्या 17880–7374/2015 दिनांक 04–11–2015 के अंतर्गत प्रतिबन्ध लगाया गया।

- भौक्षणिक संस्थानों व व्यावसायिक स्थानों के सूचनार्थ ( ौक्षणिक संस्थानों की ओर 100 गज के दायरे में, तम्बाकू उत्पाद बेचना अपराध है।

- भारत सरकार ने वर्श 2003 में पूरे भारत वर्श में नियंत्रण के लिए एक अधिनियम लागू किया जिसे सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिशेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण) अधिनियम, 2003 (कोटपा) के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम की धारा 6 बी0 के अंतर्गत शैक्षिक संस्थानो के आसपास तम्बाकू पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है।

- इस अधिनियम के नियम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1 सितम्बर, 2004 को भारत के राजपत्र संख्या 379 द्वारा अधिसूचित किए गये। इन अधिनियमों को 18 सितम्बर, 2009 से प्रभावी माना गया है।

- इस अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदे ा स्वास्थ्य सुरक्षा एंव विनियमन निदे ालय के सभी भौक्षिक संस्थानों व व्यावसायिक संस्थानों को सूचित किया जाता है कि भविश्य में इस अधिनियम को पूरे प्रदे ा में सख्ती से लागू किया जा रहा है। अतः सभी (सरकारी एवं निजी) भौक्षिक संस्थानों स्कूलों, कालेज, औद्योगिक संस्थान, वि वविद्यालय, प्र ि ाक्षण संस्थान, कम्प्यूटर एवं व्यावसायिक संस्थान आदि के प्रमुख प्रबंधकों से अनुरोध है कि वे अपने भौक्षिक संस्थानों में 15 जून से पहले निम्न अनुपालना सुनि ि चत करें।

  (1) भौक्षिक संस्थान स्वामी या प्रबंधक मामलों का प्रभारी कोई व्यक्ति परिसर के बाहर किसी सहज दृश्य स्थान पर प्रमुख रूप से निम्न बोर्ड प्रद ि ात करेगा :–

[The owner or manager or any person in institution shall display and exhibit a board at a conspicuous place(s) outside the premises, prominently stating that sale of cigarettes and other tobacco products in an area within a radius of one hundred yards of the educational institution strictly prohibited and that it is an offence punishable with the fine which may extend to two hundred rupees].

| |
|---|
| इस ि ाक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है उल्लंघन करने वालों पर 200/ रूपए तक का जुर्माना हो सकता है।<br>आदे ानुसार<br>ि ाक्षण संस्थान के अधिकारी का नामः<br>ि ाक्षण संस्थान का नाम : |

  (2) एक सौ गज की दूरी भौक्षिक संस्थान की स्थित सीमा दीवार की बाहरी सीमाएं बाड़ से नापी जाएगी। (Distance of one hundred yards shall be measured radically starting from the other limit of boundary wall fence or as the case may be, of the educational institution).

अधिक जानकारी के लिए हमारी वैबसाईट http://www.hp.gov.in/dhsrhp/COTPA Signages.pdf और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय http://www.mohfw.nic.in/WriteReadDate/1892/file30-81207361.pdf पर लॉग इन करें।

माध्यमिक ि ाक्षा बोर्ड (CBSE) ने अप्रैल 2012 को एक अंतरिम आदे ा के माध्यम से सभी ि ाक्षण संस्थानों के लिए दि ाा निर्दे ा इस वैबसाइट से http://edudel.nic.in/upload_2011_12/375_dt_05072012.pdf प्राप्त किए जा सकते हैं।

**नोट.**––इस समयावधि के समाप्त होने के उपरांत अभिलंघन करने वाले संस्थानो संचालकों/अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

- सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निशेध करने व शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे के अन्दर तम्बाकू बेचने पर पुलिस कांस्टेबल एवम् उनसे उपर के समस्त पुलिस अधिकारियों को कार्यवाही के लिए प्राधिकृत करना ।

- कानून की अवहेलना करने पर प्राप्त जुर्माने की राशि तम्बाकू विरोधी मुहिम के लिए खर्च करने का प्रावधान किया गया । प्रतिवर्ष ग्राम सभाओं में तम्बाकू नियन्त्रण एवं नशा विरोधी मुहिम पर विशेष चर्चा करवाने हेतु आदेश दिये गए हैं।

- तम्बाकू उत्पादों में टैक्स बढ़ाकर तम्बाकू की खपत में कमी सुनिश्चित करना। ताशीजोंग गांव जिला कांगड़ा को हिमाचल प्रदेश का प्रथम तम्बाकू मुक्त गांव घोषित किया गया है।

- प्रदेश में लगातार जागरूकता व कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की गई और समय–समय पर सर्वेक्षण करवाए गए तथा इस कड़ी में मई 2011 से प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों को धूम्रपान निषेध कानून की अनुपालना करने पर प्रत्येक जिला मुख्यालय स्मोक फ्री घोषित किया गया ।

  Distt. Headquarters with the compliance > 80% qualifies as SMOKE FREE as per Survey report .

- हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व कानून के सभी पहलुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। धारा 4 व धारा 6 के साथ धारा 5 (तम्बाकू पदार्थों के विज्ञापन पर प्रतिबंध एवं धारा 7 (बिना चेतावनी के तम्बाकू पदार्थ बेचने पर प्रतिबंध) के अंतर्गत कार्यवाही शुरू की गई है और देश में सर्वप्रथम कार्रवाई करने के मामले अदालत में भेजे गए हैं। परिणामस्वरूप धारा 5 व धारा 7 में कार्यवाही करने पर ऐच्छिक परिणाम हासिल करने वाला पहला राज्य बना है।

- 31–5–2012 को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य पर हिमाचल प्रदेश को तम्बाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य करने व उसके सकारात्मक परिणाम आने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डब्ल्यू0एच0ओ0–दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय पुरस्कार–2012 से सम्मनित किया गया।

- प्रदेश भर में गुटका, खैनी इत्यादी के विक्रय पर FSSA Act, 2006 के तहत पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा इसके विक्रय करने वालों खिलाफ FSSA Act, 2006 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

- ताशी जोंग गांव (बैजनाथ), जिला कांगड़ा को प्रदेश का प्रथम तम्बाकू मुक्त गांव घोषित किया गया है तथा उक्त गांव को इस कार्य हेतु पुरस्कृत किया है।

- हिमाचल प्रदेश को 3–7–2013 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री कौल सिंह ठाकुर द्वारा वैज्ञानिक सर्वेक्षण के आधार पर धारा (4) COTPA के अन्तर्गत धुम्रपान रहित राज्य घोशित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदे ा भारतवर्श का सिक्किम के बाद दूसरा धुम्रपान रहित राज्य घोशित कर दिया गया है।

- जिला मण्ड़ी में एक मुकद्दमें के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति को धारा 5 के अन्तर्गत दिनांक 15–11–2014 को दोशी करार किया गया है। The culprit was retained till the raising of Hon'ble court .

- हिमाचल प्रदे ा प्रथम ऐसा राज्य है जहां पर दिनांक 01–03–2013 को दोशी को धारा (7) COTPA के अंतर्गत दोशी पाया गया और जुर्माना भी लगाया गया ।

- हिमाचल प्रदे ा में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिशेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 18) को वर्श 2016 के अधिनियम संख्यांक 17 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदे ा ई–राजपत्र में प्रकाि ात करने की अधिसूचना सरकार द्वारा दिनांक 7 अक्तूबर, 2016 को कर दी गई है।

**Reports of Violations of COTPA 2003 & Fine in Himachal Pradesh (2014-17) (Three years)**

| No. of violations reported for the financial years | Total Challan | Fine collected INR |
|---|---|---|
| 2013-14 | 20474 | 23.84 |
| 2014-15 | 26895 | 32.10 |
| 2015-16 | 44392 | 47.39 |
| **2016-17 (1-4-2016 to 31-3-2017)** | **46258** | **75.52** |

## 9. क्लीनिक स्थापना (पंजीकरण व विनियमन) अधिनियम, 2010 :

भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 28–08–2012 के अन्तर्गत क्लीनिकल स्थापना पंजीकरण व विनियमन अधिनियम, 2010 (2010 का 23) को राज्य में लागू किया गया है जिसके अन्तर्गत हिमाचल प्रदे ा राज्य में सरकारी व गैर–सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का अस्थाई रूप से पंजीकरण का कार्य केवल ऑन लाईन तरीके से ही किया जा रहा है।

प्रदे ा में सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा द ार्ाई गई सूचना के अनुसार मई 2018 तक 10872 सरकारी व गैर–सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को अस्थाई रूप से पंजीकृत कर दिया गया है तथा वर्श के दौरान मु0 11156827/– की राि ा गैर–सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों से पंजीकरण भाुल्क के रूप में प्राप्त की गई है।

अस्थाई रूप से पंजीकृत किए गए सरकारी व गैर–सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का ब्यौरा इस प्रकार है:–

**Medicine Type-wise Approved Clinical Establishments in Himachal Pradesh as on May 2018**

| S. No | District | Allopathy | Ayurveda | Unani | Siddha | Homeo-pathy | Yoga | Naturo-pathy | Sowa-Rigpa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chamba | 322 | 132 | 1 | 1 | 11 | 4 | 8 | 0 | 479 |
| 2. | Kangra | 1325 | 940 | 38 | 10 | 118 | 71 | 80 | 17 | 2599 |
| 3. | Lahaul & Spiti | 59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 74 |
| 4. | Kullu | 360 | 178 | 17 | 7 | 12 | 15 | 8 | 2 | 599 |
| 5. | Mandi | 705 | 424 | 3 | 0 | 15 | 7 | 3 | 0 | 1157 |
| 6. | Hamirpur | 658 | 450 | 25 | 0 | 95 | 4 | 15 | 1 | 1248 |
| 7. | Una | 560 | 403 | 106 | 20 | 50 | 7 | 10 | 0 | 1156 |
| 8. | Bilaspur | 317 | 147 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 | 486 |
| 9. | Solan | 463 | 268 | 20 | 1 | 62 | 14 | 11 | 2 | 841 |
| 10. | Sirmaur | 532 | 346 | 9 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 902 |
| 11. | Shimla | 785 | 296 | 3 | 0 | 26 | 11 | 7 | 0 | 1128 |
| 12. | Kinnaur | 105 | 91 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 203 |
| | Total | 6191 | 3685 | 225 | 40 | 410 | 144 | 149 | 28 | 10872 |

## 10. निजी स्वास्थ्य संस्थानों के एम्पैनलमैंट बारे:

इस वर्श के दौरान प्रदे ा के भीतर हिमाचल सरकार के कर्मचारियों/उनके आश्रितों व पैं ानरों के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु 62 निजी अस्पतालों को मान्यता दी गई है तथा प्रदे ा से बाहर 36 निजी अस्पतालों को मान्यता दी गई है तथा इन अस्पतालों से यह भी करार किया गया है कि ये अस्पताल हिमाचल सरकार के कर्मचारियों/उनके आश्रितों व पैं ानरों का ईलाज अधिसूचना सं0 एच0एफ0डब्ल्यू0–बी(एफ) 1–1–2008, दिनांक 21–6–2008 तथा अधिसूचना सं0 एच0एफ0डब्ल्यू0–बी(एफ) 8–1/2003 (आई/एन), दिनांक 13–2–2013 के द्वारा अनुमोदित की गई दरों पर करेंगे। वर्श 2017–18 के दौरान मु0 4,35,000/– की रा ि। निरीक्षण भाुल्क के रूप में प्राप्त की गई जिसे सरकार के आदे ानुसार सरकारी कोश में जमा करा दिया गया है।

## 11. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और जैव चिकित्सा अपशिष्ट (मैनेजमैंट एंड हैंडलिंग) नियम, 2016 :

राज्य में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत जैव चिकित्सा अपि ाष्ट (मैनेजमैंट एंड हैंडलिंग) नियम, 1988 के द्वारा संचालित किया जा रहा था। उक्त अधिनियम को अधिक प्रभावक व सुधार हेतु अमल में लाने के लिए भारत सरकार द्वारा पुनर्विलोकन किया गया तथा भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 28–03–2016 के तहत जैव चिकित्सा अपि ाष्ट मैनेजमैंट नियम, 2016 जारी किए गए हैं। जिसे प्रदे ा सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। इस दि ाा में हिमाचल प्रदे ा प्रदूशण नियंत्रक बोर्ड एक विनियामक संस्था है।

निम्नलिखित द र्ाई गई फर्मों को हिमाचल प्रदे ा राज्य प्रदूशण नियंत्रक बोर्ड ने राज्य में जैव चिकित्सा अपि ाष्ट के एकत्रीकरण व नश्ट करने हेतु प्राधिकृत किया हैः–

| क्रम संख्या | जिले का नाम | निष्पादन प्रक्रिया | | सुविधा साधन |
|---|---|---|---|---|
| | | ग्रामीण | शहरी | |
| 1. | चम्बा, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना। | जमीन में गहरा दबाकर | Surksha Bio, Sanitizer, Village Dugiari, P.O. Gagret, Tehsil & Distt. Una. | इनसिनिरेटर |
| 2. | मंडी, बिलासपुर | | M/s Enviro Engineers, Biomedical Waste Treatment Facility, Sandli, P.O. Bathalang (Palania), Tehsil Arki, District, Solan, H.P. | इनसिनिरेटर |
| 3. | कुल्लू | | M/s Enviro Engineers, Pirdi, Kullu | इनसिनिरेटर |
| 4. | सिरमौर | | M/s Enviro Engineers Pirdi Kullu | इनसिनिरेटर |
| 5. | सोलन | | M/s Enviro Engineers, Biomedical Waste Treatment Facility, Sandli, P.O. Bathalang (Palania), Tehsil Arki, District Solan, H.P. | इनसिनिरेटर |
| 6. | ि ामला | | M/s Enviro Engineers, Biomedical Waste Treatment Facility, Sandli, P.O. Bathalang (Palania), Tehsil Arki, District Solan, H.P. | इनसिनिरेटर |
| 7. | किन्नौर और लाहौल स्पिति। | | जमीन में गहरा दबाकर | – |

प्रदे ा सरकार द्वारा वर्श 2017–18 में आमजैव चिकित्सा अपि ाष्ट सुविधा प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित बजट आबंटित किया गया हैः–

| क्र0 सं0 | बजट प्रकार | आबंटन |
|---|---|---|
| 1. | 0-2210-01-110-07-soon- 20-N-V-अन्य प्रभार | 62.98 lakh |
| 2. | 0-2210-01-110-07-soon- 31-N-V- यन्त्र एवं उपकरण | 9.23 lakh |
| 3. | 0-2210-01-110-07-soon- 33-N-V- सामग्री एवं आपूर्ति | 27.07 lakh |

**12. विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण और पूर्ण विवरण) अधिनियम, 1995** :

- इस विधेयक का उद् य केन्द्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी तय करना है जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों को सेवाएं प्रदान करना, सुविधाएं सृजित करना और समर्थन देना ताकि वे सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने के समान अवसर पा सकें।

- दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सेवाओं की योजना बनाने में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय केन्द्र व राज्य दोनों में नोडल मंत्रालय के रूप में स्थापित हैं।

- चिकित्सा जिम्मेदारी घटक का कार्यान्वयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत विकलांगता की रोकथाम व इसके जल्द पता लगाने तथा इसके कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा तुरन्त हस्तक्षेप के लिए निम्नलिखित पग उठाए गए हैं:–

(1) **प्राथमिक रोकथाम.**–मां और बच्चे की देखभाल के उपाय एनएचएम द्वारा किए जा रहे हैं।

(2) **माध्यमिक रोकथाम.**–प्रारम्भिक चरण में स्वास्थ्य संस्थानों में कु ाल मानव बल (मैन पावर) को प्रतिनियुक्त करके व आधारभूत ढांचे को सृजित करके बीमारी की गति को रोकने व जटिलताओं की रोकथाम को सुनि चत किया जा रहा है।

(3) 0–12 वर्श के बच्चों, जो कि कुल जनसंख्या का 25% है, की स्क्रीनिंग हर साल की जा रही है। इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्दे ा दिए गए हैं कि वे उप–मण्डल स्तर व स्कूलों में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मिल कर विकलांगता ि ाविरों का आयोजन करें और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से जल्द से जल्द संदिग्ध मामलों का पता लगाएं तथा पता लगने पर उन्हें भीघ्राति ीघ्र वि ोशज्ञों के पास भिजवाना सुनि चत करें।

(4) जिला स्तर पर हर महीने के निर्धारित दिनों में विकलांगता प्रमाण–पत्र जारी किए जाते हैं।

(5) सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्दे ा दिए गए हैं कि वे ओ0पी0डी0 में दिव्यांग व्यक्तियों को वरीयता के आधार पर देखें। अस्पतालों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रैम्प का निर्माण किया जाए और ऐसे व्यक्तियों के लिए पर्याप्त संख्या में पहिया कुर्सियों की व्यवस्था भी सुनि चत की जाए।

(6) दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन सुधार हेतु कई प्रकार की सुविधाओं जैसे कि प्रोस्थैटिक कृत्रिम अंग, सुनने की म ाीन, बोलने की चिकित्सा पद्धति और सुधारात्मक सर्जरी आदि की सिफारि ा की जा रही है।

(7) इस बारे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों व गांव स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा आ ाा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को ि ाक्षित किया जा रहा है।

(8) दुर्घटना उपरान्त पूर्ण रूप से दिव्यांग होने पर उस संस्थान के डॉक्टर जहां रोगी उपचाराधीन है, की रिपोर्ट के आधार पर प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही है। यह मामला एस. सी., एस. टी., ओ. बी. सी. एवम् अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के समन्वय से सरकार को भेजा गया है व प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल करने का प्रावधान है। यह सिफारिश की गयी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र समेत प्रदेश के समस्त चिकित्सा संस्थान इस तरह के प्रमाण–पत्र जारी करें, जिसमें चिकित्सक को स्पष्ट रूप से विकलांगता नजर आती हो जैसे कि किसी अंग का बिल्कुल काम न करना या अंगहीन होना इत्यादि।

(9) प्रदेश के समस्त चिकित्सा संस्थानों में दिव्यांग जन हेतु बाधा रहित रास्ता बनाने के लिए निर्देश दिये गए हैं और भवन निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये गये हैं।

**13. मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 :**

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के तहत, राज्य स्तरीय देह दान समिति अधिसूचित की गई है। जिसके अध्यक्ष प्रधानाचार्य, इंदिरा गांधी मैडिकल कॉलेज, ि ामला हैं।

इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदे ा में एक नेत्र बैंक इंदिरा गांधी मैडिकल कालेज, ि ामला में कार्यरत है तथा प्रदे ा के सभी जिला अस्पतालों में एक–एक Eye Donation Centre और RPGMC Tanda में Eye Bank स्थापित किया जा रहा है। यह बात गौरतलब है कि राज्य में कोर्निया ट्रांसप्लांट की एक मात्र ट्रांसप्लांट सर्जरी की जा रही है। हिमाचल के Eye Donation Center के अंतर्गत 40 Eyes Donate की गई हैं। इसके अलावा Eye Bank IGMC, Shimla में August, 2010 से अभी तक कोर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी का विवरण निम्न प्रकार से है :–

- Total eyes received 123
- Keratoplasy done 195
- Waiting list 156
- Pledged 1070

## 14. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और विकिरण संरक्षण नियम, 1971 :

प्रदे ा में एटॉमिक उर्जा अधिनियम, के अन्तर्गत जो उपलब्धियां अमल में लाई गईं उनका विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है :–

1. आज तक जिला ि ामला के लगभग सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया गया है जो कि रेडियोलोजी विभाग की विस्तृत म ाीनरी जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन, मैमोग्राफी, डैकसासकैन, दन्त एक्सरे म ाीनों के पंजीकृत करने हेतु कार्यवाही अमल में लाने का प्रयत्न किया गया जो कि अणु ऊर्जा सुरक्षा विनियम (विकिरण सुरक्षा) नियम, 2004 के तहत अति अनिवार्य है। दीन दयाल उपाध्याय ि ामला, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र म ाोबरा, असैनिक अस्पताल सुन्नी, असैनिक अस्पताल ठियोग, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मतियाना, महात्मा गांधी चिकित्सा सेवाएं परिसर खनेरी, असैनिक अस्पताल सराहन, असैनिक अस्पताल रोहडू, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिड़गांव (संदासु) असैनिक अस्पताल जुब्बल, असैनिक अस्पताल कोटखाई का निरीक्षण किया गया जहां पर कोई भी म ाीनें पंजीकृत नहीं करवाई गई हैं जिसके निर्दे ा मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी व ब्लॉक स्वास्थ्य अधिकारी को दी गई है।

2. जिला सोलन के लगभग सभी स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण किया गया है जैसे क्षेत्रीय अस्पताल सोलन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुल्तानपुर जिला सोलन, असैनिक स्वास्थ्य केन्द्र धर्मपुर, टी0बी0 सैनिटोरियम धर्मपुर, ई0एस0आई0सी0 अस्पताल परवाणू, असैनिक अस्पताल अर्की, असैनिक अस्पताल कण्डाघाट, ई0एस0आई0सी0 औशधालय दाड़लाघाट इन संस्थानों पर भी म ाीनों को पंजीकृत करने हेतु कार्यवाही अमल में लाने का निर्दे ा दिया गया।

3 पंजाब एवं हरियाणा सरकार की विकिरण सुरक्षा संस्थानों की स्थापना बारे विस्तृत जानकारी हासिल की गई जिसकी रिपोर्ट प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) को सौंपी गई है।

## 15. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आर0टी0आई0 ऐक्ट 2005) :

सूचना का अधिकार के व्यावहारिक भ्ाासन को स्थापित करने के लिए एक अधिनियम प्रदान करना नागरिकों के लिए सार्वजनिक अधिकारियों के नियंत्रण में जानकारी तक पहुंच सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदि ार्ता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना केन्द्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों का संविधान और इसके साथ जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के लिए, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। जिम्मेदारियों को बढ़ाने के

लिए सार्वजनिक प्राधिकरण से सम्बन्धित नागरिकों को जानकारी प्रत्येक राज्य या स्थानीय सरकारी एजैंसी के कामकाज में दायित्व एसआईसी गठित नियंत्रण संचालन और धन के अधिकतम उपयोग को नियंत्रित करने के लिए आव यक है सरकार और उनकी एजैंसियों के भीतर भ्रश्टाचार की जांच करें।

**अपील अधिकारी व जन सूचना अधिकारी :**

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारी काम कर रहे हैं:–

अपील अधिकारी : वर्तमान में निदे ाक स्वास्थ्य सुरक्षा विनियमन, हिमाचल प्रदेश अपील अधिकारी हैं।

जन सूचना अधिकारी : वर्तमान में ओ0एस0डी0 डी.एच.एस.आर., जन सूचना अधिकारी है तथा तीन सहायक औशधि नियंत्रक ए0डी0सी मण्डी (मण्डी, कुल्लू, लाहौल एवं स्पीति, बिलासपुर एवं हमीरपुर), ए0डी0सी0 नाहन (सिरमौर, सोलन, ि ामला एवं किन्नौर), ए0डी0सी0 कांगड़ा (कांगड़ा, चम्बा एवं ऊना) और ड्रग्स इंस्पैक्टर O/o ड्रग्स कंट्रोलर बद्दी में जन सूचना अधिकारी हैं।

वर्श 2017–18 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विभाग की प्रगति रिपोर्ट निम्न प्रकार से है:–

| क्रम संख्या | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | कुल प्राप्त प्रार्थना–पत्रों की संख्या | 67 |
| 2. | धारा 6 (3) के अन्तर्गत स्थानान्तरण मामले | 20 |
| 3. | उत्तर दिए गए प्रार्थना–पत्रों की संख्या | 41 |
| 4. | अपील के मामले | 3 |
| 5. | प्रार्थियों से प्राप्त रा ि ा | रू0 680/– |
| 6. | सरकारी खजाने में जमा रा ि ा | रू0 680/– |

## 16. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 :

- वर्श 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम लागू हुआ।
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 की जगह ली गई। इस अधिनियम के तहत स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नियम बनाए जाने हैं जो कि अभी तक इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए हैं।
- इस अधिनियम के द्वारा मानसिक रोगियों को मानसिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। साथ ही उनको समानता से जीने का अधिकार मिलेगा।

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला––1987–डी0एच0एस0आर0 / 2019–4–2–2019––50 प्रतियां।